भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1058
22.11.2019 को उत्तर के लिए

आरक्षित वन्य क्षेत्र

1058. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खनन गतिविधियों की अनुमति देने का निर्णय आंध्र प्रदेश के नाल्लामाला के आरक्षित वन क्षेत्र जो कृष्णा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र से मात्र 0.5 कि.मी. है, उस क्षेत्र में अमराबाद के आदिवासी लोगों को प्रभावित करेगा;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा रेडियो विकिरण फैलाने वाली सामग्री के संदूषण से कृष्णा नदी जल को संरक्षित रखने और नाल्लामाला व उसके आस-पास रहने वाले लोगों के जीवन के अधिकार और आजीविका की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) इस मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के नाल्लामाला आरक्षित वन क्षेत्र में रेडियाधर्मी सामग्री के खनन हेतु कोई अनुमति नहीं दी है। यदि इस प्रकार की कोई अनुमति दी जाती है तो समतुल्य वनेतर क्षेत्र या दोगुने अवक्रमित वन क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण करने सहित संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके समुचित प्रशामक उपाय किए जाते हैं।

*****